

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड शारदानगर,
लखीमपुर-खीरी।**

अति अल्पकालीन निविदा सूचना-03/अ0अ0/2017-18

महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यो हेतु ऑन लाईन <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से निविदा, सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार से दिनांक: 15.07.2017 को अपरान्ह 04.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक: 17.07.2017 को अपरान्ह 4.00 बजे नामित समिति के समक्ष ऑन लाईन खोली जायेगी। उक्त निविदा दिनांक: 08.07.2017 को 10.00 बजे से दिनांक: 15.07.2017 को सांय 04.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है। कार्यालय बन्द होने की अथवा अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

क्र स	कार्य का विवरण	लॉट संख्या	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू० में)	धरोहर धनराशि (लाख रू० में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	पंजीकृत श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शारदा बैराज के स्टोर पर 40-60 कि०ग्रा० मिर्जापुर स्टोन बोल्टर की आपूर्ति का कार्य।	01	8.00	0.16	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
2	शारदानगर कालोनी के स्टोर पर 40-60 कि०ग्रा० मिर्जापुर स्टोन बोल्टर की आपूर्ति का कार्य।	02	8.00	0.16	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
3	शारदा बैराज के स्टोर पर जियोटियूब की आपूर्ति का कार्य।	03	2.30	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
4	शारदानगर कालोनी के स्टोर जियोटियूब की आपूर्ति का कार्य।	04	2.30	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
5	शारदा बैराज स्टोर पर जी०आई० वायर क्रेट (1.5mX1.0mX1.0m) की आपूर्ति का कार्य।	05	2.48	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
6	शारदा बैराज स्टोर पर परक्यूपाइन की आपूर्ति का कार्य।	06	2.30	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
7	शारदानगर कालोनी के स्टोर पर परक्यूपाइन की आपूर्ति का का कार्य।	07	2.30	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
8	गिरिजा बैराज के स्टाकयार्ड पर 40-60 कि०ग्रा० मिर्जापुर स्टोन बोल्टर की आपूर्ति का कार्य।	08	4.80	0.10	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
9	गिरिजा बैराज के बायें गाइड बंध पर 40-60 कि०ग्रा० मिर्जापुर स्टोन बोल्टर की आपूर्ति का कार्य।	09	5.00	0.10	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
10	गिरिजा बैराज के दायें गाइड बंध पर 40-60 कि०ग्रा० मिर्जापुर स्टोन बोल्टर की आपूर्ति का कार्य।	10	7.20	0.15	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
11	गिरिजा बैराज के दाहिने अफलक्स बंध के किमी० 9.000 पर परक्यूपाइन की आपूर्ति का कार्य।	11	5.00	0.10	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च

12	गिरिजा बैराज स्टोर पर जी0आई0 वायर क्रेट (1.5mX1.0mX1.0m) की आपूर्ति का कार्य।	12	2.32	0.05	03 सप्ताह	300+ वैट 14.5%	सी या उच्च
----	---	----	------	------	-----------	----------------	------------

1. यह निविदा/बिड सूचना उत्तर प्रदेश, सरकार की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> सूचना विभाग की वेबसाइट <http://information.up.nic.in> तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट <http://www.irrigation.up.in> पर उपलब्ध है।
2. यह निविदा सूचना एवं प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है। निविदा के साथ सिंचाई विभाग की निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र (IDT-I), हैसियत प्रमाण-पत्र (IDT-II), स्वघोषणा-पत्र (IDT-III) एवं समस्त अभिलेखों की Scaned Copy वेबसाइट पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सत्यापन हेतु कार्यालय में जमा करनी होगी। वेबसाइट पर ड्राइंग आदि उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-शारदानगर, लखीमपुर-खीरी से ड्राइंग आदि प्राप्त कर सकेंगे।
3. कार्य तात्कालिक प्रवृत्ति के है तथा वर्षाकाल से पूर्व/अल्प अवधि में पूर्ण कराये जाने आवश्यक हैं अतः निविदा सम्बन्धी कार्यवाही तिथिवार निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-
(क) दिनांक: 08.07.2017 से दिनांक: 15.07.2017 सांय 04.00 बजे तक ठेकेदार द्वारा निविदा अपलोड करने की तिथि।
(ख) दिनांक: 17.07.2017 मध्यान्ह 12.00 बजे टेक्निकल बिड खोलने की तिथि।
(ग) दिनांक: 08.07.2017 से दिनांक: 15.07.2017 सांय 04.00 बजे तक अपलोड किये गये अभिलेखों की मूलप्रति कार्यालय में जमा करने की तिथि।
(घ) दिनांक: 19.07.2017 को अर्ह पाये गये ठेकेदारों की सूची अपलोड करने की तिथि।
(ङ) दिनांक: 19.07.2017 फाइनैन्सियल बिड खोलने की तिथि सांय 4.00 बजे।
(च) दिनांक: 20.07.2017 से दिनांक: 21.07.2017 तक न्यूनतम दर देने वाले ठेकेदार को कार्यालय में उपस्थित होकर Acceptance Letter प्राप्त करने की तिथि। पत्र प्राप्त नहीं करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदादाता को निविदा बिक्री की धनराशि, वैट सहित डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में, जो कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-शारदानगर, लखीमपुर-खीरी के नाम/पक्ष में बन्धक तथा लखीमपुर में देय होगा, जिसकी Scaned Copy अपलोड करनी होगी अन्यथा उनकी निविदा/बिड को Non-Responsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा।
5. धरोहर धनराशि, जो कि कार्य की लागत का 10 प्रतिशत है, परन्तु निविदादाता को निविदा अपलोड करते समय 2 प्रतिशत राष्ट्रीकृत बैंक के द्वारा निर्गत केवल एन0एस0सी0 /एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-शारदानगर, लखीमपुर-खीरी के नाम/पक्ष में बन्धक तथा लखीमपुर में देय होना अनिवार्य है, जिसकी Scaned Copy आनलाइन अपलोड करनी होगी।
6. प्रत्येक निविदादाता को फाइनैन्सियल बिड के साथ रू0 100/- के नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक रूपये का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/आफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी Scaned Copy आनलाइन निविदा के साथ अपलोड करनी होगी। नियमानुसार देय वाणिज्य कर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी व प्रचलित टैक्स देय होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी एवं शेष 8 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करनी होगी।
7. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटायी/बढ़ायी जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

8. निविदादाता को उपरोक्तानुसार कार्यस्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं करनी होगी एवं कोई भी अन्य जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
9. निविदादाता/ बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रेनिंग अथवा अन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. इस निविदा को पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी को होगा।
11. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो, तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
12. कोई भी निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो, वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
13. राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग न ले सकेंगे। अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
14. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि प्रक्रिया के विरुद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/ असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता की न्यूनतम बोली की स्थिति में भी निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना आनलाइन उपलब्ध करा दी जायेगी।
16. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता ने IDT-I, IDT-II, IDT-III तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण-पत्र ठीक-ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गयी दरें तुलनात्मक विवरण में अंकित नहीं की जायेंगी तथा निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
17. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी स्तर पर नियमों को उल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
18. अन्य शर्तें एवं कार्यस्थल का विवरण निविदा प्रपत्र में संलग्न है।
19. निविदादाता विभागीय लागत से कम की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या-622/ 23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0-2, दिनांक-08.06.2012 के अनुसार **10 प्रतिशत तक कम दर दिये जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक दर पर 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्वोरिटी/परफारमेन्स गारन्टी** ली जायेगी। अतिरिक्त सिक्वोरिटी जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
20. निविदादाता की ज्वाइंट वैनचर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगी।
21. शर्तयुक्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रतिशत दरें मान्य नहीं होंगी।
22. एक निविदादाता केवल एक ही लाट/कार्य हेतु निविदा डाल सकता है।
23. लेबरसेस, रायल्टी, आयकर, व्यापारकर एवं अन्य कर की कटौती ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन की जायेगी।
24. शासनादेश सं0- 383/36-2-2010 श्रम अनुभाग-2 दिनांक: 26.02.10 द्वारा भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं सेवा शर्त विनियमन नियमावली-2009 के अन्तर्गत

- ढेकेदार को श्रम विभाग में किये जाने वाले उक्त कार्य का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है।
25. ढेकेदार को खनिज मैटेरियल पर फार्म-एम0एम0 11 प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियमानुसार बीजक से रायल्टी की धनराशि वसूल की जायेगी।
26. प्रत्येक निविदादाता को निम्नलिखित अभिलेखों की मूलप्रति दिनांक:08.07.2017 से दिनांक: 15.07.2017यए तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-शारदानगर,लखीमपुर-खीरी में अपरान्ह 04.00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा:-
- (क) वैध पंजीयन की मूलप्रति।
- (ख) IDT-I, IDT-II, IDT-III प्रमाण-पत्रों की मूलप्रति।
- (ग) निविदा मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट मूलरूप में।
- (घ) अन्य अभिलेख जो अपलोड किये गये हो।
27. उपरोक्त शर्तों में बढ़ोत्तरी एवं छूट देने अथवा इससे सम्बन्धित किसी भी वाद में निर्णय का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

अधिशासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड शारदा नगर,
लखीमपुर-खीरी।